

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 637]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2010—पौष 2, शक 1932

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2010

क्र. एफ 2-23-2010-सात-शा-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त संहिता की धारा 129 के अधीन तहसीलदार की शक्तियाँ, समस्त राजस्व निरीक्षकों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर प्रदत्त करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2010

क्र. एफ 2-23-2010-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-23-2010-सात-शा-6, दिनांक 23 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 23rd December 2010

No. F 2-23-2010-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby, Confer the powers of Tahsildar under Section 129 of the said Code upon all the Revenue Inspectors within their respective Jurisdiction.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.